सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 330/21 दिनांक- 12 जुलाई 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-बिलरियागंज

12 घण्टे के अन्दर मधनापार में हुई हत्या का सफल अनावरण, आलाकत्ल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध कट्टा व कारतूस भी बरामद

दिनांक- 11.07.2021 को पीयूष मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा साकिन गडेरूआ (मट्टी का पुरा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया कि मेरे भाई मनीष मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा निवासी उपरोक्त द्वारा मेरे पिताजी को लेकर रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था 12.45 पर ट्रेन थी। उसके बाद शहजान्द पालिटेकनिक स्कूल पटवध सरैया फिस जमा करने के बाद घर आते समय थाना बिलरियागंज क्षेत्र के ग्राम मधनापार पुलिया के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से मारकर हत्या कर दी गयी। मौके पर मनीष मिश्रा उपरोक्त मरा पड़ा है तथा बाईक में चाभी लगी हुई है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 117/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष बिलरियागंज को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक- 12.07.2021 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्तों की तलाश के दृष्टीगतक्षेत्र में मौजूद थे कि संदिग्ध व्यक्तियों व मुखबिर खास से सूचना मिली मृतक मनीष मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा सा 0 गडेरूआ (मट्टी का पुरा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की हत्या मे वाँछित अभियुक्त रूपेश उपाध्याय पुत्र स्व0 दिवाकर उपाध्याय निवासी सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ सियरहा मोड़ (पुलिया के पास) मौजूद है , जो कही भागने की फिराक मे है कि सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराह सियरहा मोड़ पर पहुँचे जहाँ एक व्यक्ति साधन का इंतजार करते हुए मिला जो पुलिस बल को देखते ही हटने बढ़ने लगा कि एक बारगी घेरकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से पूछा गया तो उसने अपना नाम रूपेश उपाध्याय पुत्र स्व0 दिवाकर उपाध्याय निवासी सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से एक अदद कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । अभियुक्त की निशादेही पर हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी की गयी। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से मृतक मनीष मिश्रा की हत्या के बारे मे कड़ाई से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा थाना जीयनपुर क्षेत्र की एक लड़की से प्रेम प्रसंग है जिससे मनीष मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा सा 0 गडेरूआ (मट्टी का पुरा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ भी प्रेम करता था। पूर्व मे मैने कई बार मृतक मनीष मिश्रा को समझाया था लेकिन वो माना नही। हम दोनो एक- दूसरे से शादी करना चाहते थे इसलिए मनीष मिश्रा को रास्ते से हटाने के लिए मैने अपने भांजे सागर तिवारी पुत्र स्व0 बृजेश तिवारी निवासी धनकपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर मधनापार बिलरियागंज में दिनांक 11.07.2021 को करीब 1.30 बजे दोपहर चाकू, कीला बांस से वार कर हत्या कर दिये थे। अभियुक्त द्वारा अपने भांजे सागर के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग की बात को लेकर मृतक मनीष मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा सा0 गडेरूआ (मट्टी का पुरा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की हत्या करने की बात स्वीकार कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0सं0 117/2021 धारा 302 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1- रूपेश उपाध्याय पुत्र स्व0 दिवाकर उपाध्याय निवासी सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सागर तिवारी पुत्र स्व0 बृजेश तिवारी निवासी धनकपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1- आलाकत्ल 01 अदद अवैध चाकू। 2- हत्या मे प्रयुक्त एचएफ डिलक्समोटर साइकिल।

3- 01 अदद कट्टा .315 बोर। 4- 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव प्रथम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3- उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3- हे0का0उपेन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

4-का0 प्रमोदथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

5- का0 संगम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

6- का0 संजीव सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

5- म0का0 शालिनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।